

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा  
आदेश

श्री ओमप्रकाश, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी को हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के उप नियम 143(1) के तहत दिनांक 31.01.2022 को बाद दोपहर 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
13.01.2022


रमेश चन्द्र बिढाण, भा0प्र0से0  
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक एए1-2022/7065-68


दिनांक: 28-1-2022


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी।
3. श्री ओमप्रकाश, उप-अधीक्षक कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, भिवानी।
4. ए0ई0/आई0टी0सेल।

  
उप-अधीक्षक (प्रशा0-1)

कृते: महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

  
28/1/22

  
21/1/22

